EN-4/10
12/2/16

Ac-1763
23/6/16

क्रमांकः– 62/24/2016–6जी0एस01

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला, हिसार, गुडगांव तथा रोहतक मण्डल।
2. सभी उपायुक्त तथा उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा राज्य।
3. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा सभी जिला सत्र व न्यायाधीश।
4. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड/निगम/समितियां।
5. हरियाणा राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

Supdt (Acad) AC-I 24/6

दिनांकः चंढीगढ 8 जून, 2016

विषय सभी सरकारी विभागों में जनता से संबंधित और विभागीय प्रयोग के फार्मों का हिन्दी में होना अनिवार्य करने बारे।

CD 4100
22/6/16

महोदय,

आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए सूचित किया जाता है कि भारत सरकार की नियमावली 1976 के नियम 11 के अनुसार देश भर में केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंको, अधिकरणों आयोगों के सभी फा़र्म हिन्दी में होने अनिवार्य हैं। हिन्दी के अक्षर अंग्रेज़ी से छोटे नहीं होने चाहिए। हिन्दी के अक्षर अंग्रेज़ी से पहले अथवा ऊपर होने चाहिएं।

2. आपको विदित है कि हरियाणा की राजभाषा हिन्दी है और सरकार के पत्र कमांक 12/45/93–6जी0एस01, दिनाकं 25.05.1993 तथा 62/37/1998–6जी0एस01, दिनांक 06.10.1999 द्वारा कार्यालयों को हिन्दी में कार्य करने के निर्देश पहले भी जारी किए गए हैं। किन्तु सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न विभागों, आयोगों, शिक्षण संस्थानों से संबंधित फार्म केवल अंग्रेज़ी भाषा में हैं, जिसके कारण आम जनता को इन्हें समझने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार ने मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए निर्णय लिया है कि सभी विभाग, आयोग समितियां, शिक्षण संस्थान अपने विभाग से संबंधित सभी फार्मों, आवेदन पत्रों का हिन्दी व अंग्रेज़ी दोनो भाषाओं में सपष्ट अनुवाद करवाएं एवं अपनी विभागीय website पर रखना सुनिश्चित करें। 'A'

3. इन हिदायतों की अवहेलना करने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। अतः आपसे अनुरोध है कि इन हिदायतों की कड़ाई से पालना करवाएं।

It does not relate to this section as no form is being got printed separately by may send

प्रमोद कुमार
अधीक्षक, सामान्य सेवायें–1 शाखा,
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

## महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक
(स्थापना शाखा–नान् टीचिंग)

पृष्ठांकन क्रमांक ई०एन०–4/एम–19(2)/16/8925-9045 दिनांक 29-7-16

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित करते हुए अनुरोध किया जाता है कि वह **अपने विभाग से संबंधित सभी फार्मों, आवेदन पत्रों का हिन्दी व अंग्रेजी दोनो भाषाओं में स्पष्ट अनुवाद करवाएं एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर रखना सुनिश्चित करें** :–

1. सभी विभागाध्यक्ष एवं शाखा अधिकारी, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक।
2. निदेशक, कम्पयूटर केन्द्र, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक।
3. निदेशक, यू॰ आई॰ एल॰ एम॰ एस॰ गुरुग्राम।
4. निजि सचिव/निजी सहायक कुलपति, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक (कुलपति, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक महोदय के सूचनार्थ) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक।
5. सभी सहायक (स्थापना शाखा–नान् टीचिंग), महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक।

HBhargava 28/7/16
**अधीक्षक(स्थापना)**
**कृतः कुलसचिव**